

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री साईं खाद्यान्न भण्डार, मण्डी समिति रौजा, शाहजहाँपुर ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 090 / 10, 06.09.2010
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री साईं खाद्यान्न भण्डार, मण्डी समिति रौजा, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 06.09.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न जानकारी जाननी चाही गयी है :-

क्या टैक्स इनवाइस से की गयी खरीद पर अर्जित आई0 टी0 सी0 को संगत माह में अपंजीकृत से की गयी खरीद पर बने कर के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है या नहीं जबकि कुल बिक्री पर भी कर देयता है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 19.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा पत्र संख्या-1901, दिनांक 29.09.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि अपंजीकृत से खरीद की दशा में व्यापारी द्वारा खरीद पर देय कर को अपने खातों में दर्ज करते हुए राजकीय कोषागार में जमा करके जमा का चालान प्रस्तुत करने पर जमा की तिथि से अस्थायी रूप से आई0 टी0 सी0 का लाभ अनुमन्य किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि अपंजीकृत से की गयी प्रत्येक खरीद पर क्रेता व्यापारी की कर देयता है । इसे जमा करने पर आई0 टी0 सी0 का अस्थायी लाभ देय होगा तथा ऐसी खरीद पर उद्ग्रहीत होने वाले कर को टैक्स इनवायस से की गई खरीद पर अर्जित आई0 टी0 सी0 में समायोजित नहीं किया जा सकता ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस

सर्वश्री साईं खाद्यान्न भण्डार / प्रा0 पत्र सं0-090 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2

शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हाँ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे तथा दावों की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता से सम्बन्धित प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या व विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के समायोजन इत्यादि से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।